राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

इंदौर, बुधवार, 4 फरवरी 2026

वर्ष -13, अंक-05, पेज- 8, मूल्य 2 रूपए

जुड़िए हमसे... @risingindore.news www.risingindore.com और +91-731-4032200 पर

BUDGET 2026

दिल्ली से एमपी को मिलेंगे 1.12 लाख करोड़

केंद्रीय करों से मध्य प्रदेश को मिलने वाला हिस्सा घट गया

पिछले साल की तुलना में फिर भी करीब 9000 करोड़ रु ज्यादा मिलेंगे

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 1.12 लाख करोड रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय करो से मध्य प्रदेश को मिलने वाला हिस्सा घट गया है। इसके बावजूद पिछले साल की तुलना में इस साल मध्य प्रदेश को करीब 9000 करोड रुपए ज्यादा मिल सकेंगे।

संसद में रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 27 में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1.12 लाख करोड रुपए प्राप्त हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को केंद्रीकरण के हिस्से के रूप में 1 लाख करोड रुपए प्राप्त हुए थे। इस तरह से यदि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का हिस्सा बढ़ गया है। पिछले कई वर्षों में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करके हिस्से के रूप में जितनी राशि मिलती थी उसमें हर साल जो वृद्धि होती थी उसकी तुलना में इस साल की जा रही वृद्धि सबसे कम है।

मध्य प्रदेश को केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली राशि को अगले 5 वर्षों के लिए घटा दिया गया है। केंद्रीय करों से मध्य प्रदेश का हिस्सा वर्ष 2025 26 तक 7.850 प्रतिशत था जो अब घटकर 7.347 प्रतिशत हो गया है। इस तरह केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश के हिस्सेदारी में 0.503 प्रतिशत की कमी हो गई है। प्रदेश के वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कम होने से अगले वर्षों में बजट में मध्य प्रदेश को हजारों करोड रुपए की राशि कब मिलेगी। ध्यान रहे कि केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में मिलने वाली राशि का हर राज्य को हर महीने में भुगतान किया जाता है। सभी राज्यों को यह राशि 14 किस्तों में प्रदान की जाती है।

प्रदेश को क्या मिला...?

■ भारत सरकार के द्वारा अपने बजट में देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से मध्य प्रदेश के जिलों में भी गर्ल्स हॉस्टल के खुलने की संभावना बन गई है।

■ बजट में देश के एनीमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के 15000 हाईयर सेकंडरी स्कूलों और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। निश्चित तौर पर इसमें से कुछ लैब मध्य प्रदेश को भी मिलेगी।

■ इस बजट में जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की घोषणा का लाभ भी मध्य प्रदेश के अस्पतालों को मिल सकेगा। यदि यह लाभ मिलता है तो इन अस्पतालों में मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज हो सकेगा और जिला अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ सकेगी।

■ केंद्रीय बजट में 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शेरों के डेवलपमेंट के लिए 12.2 लाख करोड रुपए की घोषणा की गई है। इस घोषणा का लाभ मध्यप्रदेश में भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन और सागर को मिल सकेगा।

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया गत मार्च में मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। इस दौरे का उद्देश्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति का आकलन कर आगामी 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों से मिलने वाली हिस्सेदारी की नई दर और केंद्रीय अनुदान के रूप में प्रदेश को मिलने वाली राशि के संबंध में केंद्र सरकार से सिफारिश करना था। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आयोग से मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8 प्रतिशत से ज्यादा करने का आग्रह किया गया था। इस आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले में प्रदेश की राशि आधा प्रतिशत और कम हो गई है।

मध्य प्रदेश में निराशा

मध्य प्रदेश सरकार में केंद्रीय बजट के इस ऐलान से निराशा की स्थिति बन गई है। राज्य सरकार के द्वारा अपने बजट में भी केंद्रीय बजट से मिलने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है। अब केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के हिस्से को घटा दिए जाने का असर आने वाले वर्षों में भी मध्य प्रदेश सरकार के बजट पर पड़ेगा। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी राज्य के लिए केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा अपना बजट फाइनल किया जाता है। यह राशि कम या ज्यादा होने का सीधा असर राज्य की वितीय स्थिति पर पड़ता है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय बजट में प्रदेश को सिहस्त के लिए 20000 करोड रुपए का विशेष विशेष पैकेज देने और जल जीवन मिशन की बकाया 8120 करोड रुपए की राशि देने तथा कर्ज की सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी।

कहां से आएगा पैसा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में हर एक रुपए की सरकारी कमाई कहां से कैसे होगी उसका ब्योरा दिया गया है यह ब्योरा निम्नानुसार है-

- इनकम टैक्स से 21 पैसे
- कॉरपोरेट टैक्स 18 पैसे
- जीएसटी और अन्य टैक्स से 15 पैसे
- कस्टम ड्यूटी से चार पैसे
- नॉन टैक्स रिवेन्यू 10 पैसे
- नॉन डेट कैपिटल रिसीवड दो पैसे

कहां खर्च होगा पैसा

- राज्यों को देंगे 22 पैसे
- पुराने कर्ज का ब्याज 20 पैसे
- केंद्रीय योजनाओं पर खर्च 17 पैसे
- रक्षा पर खर्च 11 पैसे
- योजनाओं में सहयोग आठ पैसे
- वित आयोग और अन्य खर्च 7 पैसे
- सब्सिडी मे खर्च 6 पैसे
- सिविल पेंशन दो पैसे अन्य प्रशासनिक खर्च 7 पैसे

राइजिंग इंदौर अब www.risingindore.com और MAGZTER.com पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध...

पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से धीमा पड़ा मूसाखेड़ी ब्रिज का काम

जिस गति से चल रहा है काम उस गति से तो न जाने कब बनेगा यह फ्लाईओवर ब्रिज

राइजिंग इन्दौर
रिपोर्टर

शहर में रिंग रोड पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा मूसाखेड़ी चौराहे के पास में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य बेहद धीमी गति के साथ चल रहा है। यह कार्य तो इतना धीमा चल रहा है कि ऐसा लगता है जैसे लोग निर्माण विभाग में कई सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निश्चय किया हो। विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी काम की गति धीमी होने के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विभाग के ब्रिज सेल के चीफ इंजीनियर भोपाल में बैठते हैं और हाल ही में हाई कोर्ट में सुनवाई में वे इंदौर भी आए थे। इस दौरान भी उनके द्वारा निर्माण किया जा रहे फ्लाईओवर ब्रिज का मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया गया। इस स्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें भी इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि यह निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ हो जाएं। विभाग ने तो यह पूरा काम ब्रिज सेल की इंदौर की कार्यपालन यंत्री के भरोसे छोड़ दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस निर्माण कार्य में दो मंदिर के कारण भी बाधा पैदा हो रही है। ऐसे में कलेक्टर शिवम वर्मा के द्वारा इस बाधा को दूर करने की दिशा में पहल की जा रही है।

लाइफ टाइम लीज रेंट जमा फिर भी नामांतरण में आज के दर से मांग रहे हैं लीज रेंट

प्राधिकरण में अधिकारियों की मनमानी का दौर जारी

राइजिंग इन्दौर
रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण से संपत्ति का आवंटन प्राप्त करने के बाद जिन लोगों ने लाइफ टाइम लीज रेंट जमा कर दिया वह लोग भी अब जब नामांतरण करवाने के लिए जा रहे हैं तो उनसे नए सिरे से नए नियमों के हिसाब से लीज रेंट मांगा जा रहा है। प्राधिकरण में अधिकारियों की मनमानी का दौर जारी है।

इंदौर विकास प्राधिकरण सहित प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण को लेकर राज्य सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया था कि व्यक्ति प्राधिकरण की संपत्ति का आवंटन प्राप्त करने के उपरांत आजीवन लीज रेंट जमा कर सकता है। यदि व्यक्ति लीज रेंट की राशि आजीवन की जमा कर देता है तो उस स्थिति में उसे कभी भी लीज रेंट जमा नहीं करना पड़ेगा। शासन के द्वारा बनाए गए इस नियम का बहुत प्रचार किया गया था। इसके कारण बड़ी संख्या में उन लोगों ने जो कि प्राधिकरण की संपत्ति के आवंटिति थे, उन्होंने आजीवन लीज रेंट की राशि जमा करवा दी थी।

इन लोगों को यह राहत मिली थी कि अब हर साल लीज रेंट भरने की चिंता नहीं पालना है। यदि कोई साल में लीज रेंट जमा नहीं होगा तो कोई दंड अथवा ब्याज भी नहीं लगेगा। हर व्यक्ति के लिए हर साल लीज रेंट जमा करने का ध्यान रखना एक बड़ा मुश्किल और चुनौती पूर्ण कार्य है। अपने दैनिक जीवन की आपाधापी के बीच व्यक्ति लीज रेंट जमा करना भूल जाता है। ऐसे में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उस पर जुर्माना और दंड के रूप में मोटी राशि लगा दी जाती है।

शासन की इस योजना का लाभ लोगों ने इसी कारण से उठाया था कि इससे उन्हें फायदा मिल जाएगा। अब तक नागरिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा था। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आ रही थी। अब बदले हुए हालात में इस समय प्राधिकरण से नागरिकों को काफी समस्या आ रही है। जिन नागरिकों के द्वारा आजीवन लीज रेंट की राशि जमा कर दी गई है उनसे भी अब प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा उस समय लीज रेंट की राशि की मांग की जा रही है जब वे लोग नामांतरण करवाने के लिए प्राधिकरण में जा रहे हैं।

इन दोनों प्राधिकरण में जाने वाले इस तरह के नागरिकों से प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा नए नियमों के अनुसार लीज रेंट की राशि जमा करने पर ही नामांतरण करने जैसी आवश्यकता बताई जा रही है। ऐसे में यह नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन नागरिकों का कहना है कि हमारे द्वारा पूर्व में आजीवन यह राशि जमा कर दिए जाने का क्या मतलब निकलता है यदि आप हमें अभी के नियम के अनुसार भी राशि जमा करना है तो। इन नागरिकों के द्वारा इस बारे में प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष भी अपनी बात रखने की कोशिश की गई लेकिन अधिकारी कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है।

अब नागरिकों के सामने समस्या यह है कि वे अपनी बात कहे तो किससे कहें। उनकी बात को सुनकर उसका समाधान करने के लिए इस समय कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसी स्थिति में नागरिक अपने आप को धोखाधड़ी का शिकार समझ रहे हैं।

सरकारी भूमि बताकर प्राधिकरण के द्वारा प्लाट फ्री होल्ड करने से इंकार

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बड़ी संख्या में फ्री होल्ड के आवेदनों को यह कह कर मानने से इनकार किया जा रहा है कि जिस जमीन पर यह प्लांट है वह जमीन सरकारी है। ऐसी स्थिति में फ्री होल्ड के नियम का नागरिक चाह कर भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

फ्री होल्ड के नियम का चाह कर भी नहीं मिल पा रहा है प्लाट धारकों को लाभ

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा जब भी किसी आवासीय योजना का विकास किया जाता है तो पहले योजना के क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है। उसके बाद में इस बात का सर्वे होता है कि जिस जमीन पर यह योजना तैयार की जानी है वह जमीन किसकी है। इसमें से जो जमीन सरकारी होती है वह जमीन प्राधिकरण के द्वारा शासन प्रशासन से प्राप्त की जाती है और जो जमीन नीचे होती है वह जमीन के नीचे मालिकों से प्राप्त करने की कार्रवाई की जाती है।

जो जमीन निजी होती है उसे प्राधिकरण के द्वारा जमीन मालिक की सहमति से लैंड पूलिंग एक्ट के तहत प्राप्त किया जाता है। इसके एवज में जमीन मालिक को विकसित जमीन का प्लाट दिया जाता है। इसके पूर्व के समय में प्राधिकरण के द्वारा निजी जमीन को जिला भू अर्जुन अधिकारी के माध्यम से मुआवजा देकर अर्जित किया जाता था।

अब प्राधिकरण की आवासीय योजना में जो सरकारी जमीन आती है उस जमीन का पैसा प्राधिकरण के द्वारा सरकार को चुकाया जाता है। कई बार प्राधिकरण इस पैसे के एवज में बिना पैसे लिए सरकारी काम कर देता है। इंदौर में इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं में ली गई सरकारी जमीन की कीमत चुकाने के लिए 60 करोड रुपए अपनी जेब से खर्च कर नए प्रशासनिक संकुल बनाने का काम किया गया है।

इन दिनों प्राधिकरण में प्राधिकरण की योजना के प्लाट को फ्री होल्ड करवाने के लिए आवेदन कर रहे लोगों में निराशा की स्थिति पैदा हो रही है। चाहे जिस प्लाट को प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा शासकीय भूमि पर स्थित प्लाट बताते हुए उसे फ्री होल्ड करने से इनकार किया जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि हमने तो यह प्लाट प्राधिकरण से लिया है। प्राधिकरण के द्वारा टेंडर के माध्यम से अथवा लॉटरी से इस प्लाट का आवंटन किया गया है।

अब प्राधिकरण के द्वारा ऐसे प्लाट के फ्री होल्ड के आवेदन आने पर अन आवेदक को पहले लंबित रखा जाता है और फिर बाद में निरस्त कर दिया जाता है। प्राधिकरण के अधिकारी तो एक लाइन बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इन अधिकारियों का कहना होता है कि यह प्लाट सरकारी जमीन पर है और ऐसे किसी प्लाट को फ्री होल्ड करने का काम नहीं किया जा सकता है। नागरिक पूछ रहे हैं कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। हमारा क्या दोष है। प्राधिकरण की गलती की सजा हम क्यों भुगते।

प्राधिकरण की नीति में विरोधाभास

एक तरफ जहां प्राधिकरण के द्वारा आम नागरिकों को प्लाट फ्री होल्ड करने से सरकारी जमीन होने के नाम पर इनकार किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्राधिकरण की योजना में शामिल की गई सरकारी जमीन पर विकसित प्लाट प्राधिकरण इस समय फ्री होल्ड के रूप में ही आवंटित करने का काम भी कर रहा है। जब प्राधिकरण के अधिकारियों से पूछा जाए कि अब आप यह प्लाट फ्री होल्ड में कैसे बेच रहे हो यह भी तो जमीन सरकारी है तो उनका जवाब होता है कि संचालक मंडल के द्वारा फैसला लिया गया है। इस फैसले के आधार पर प्लाट फ्री होल्ड में बेचे जा रहे हैं।

एक हादसे ने उतार दिया मेकअप... अफसर आपस में भिड़े, व्यवस्था टूटी, तेजी से बिखरता नगर निगम

राइजिंग इन्दौर
■ अभिषेक मिश्रा

इंदौर नगर निगम की चमक-दमक को अगर कोई आधिकारिक नाम दिया जाए तो शायद उसे पोस्टर मॉडल गवर्नेंस कहा जाना चाहिए। बाहर से सब कुछ इतना उजला कि आंखें चौंधिया जाएं, भीतर झांकिए तो व्यवस्था ऐसे बिखरी हुई जैसे किसी ने फाइलों की अलमारी को जानबूझकर भूकंप में छोड़ दिया हो। भागीरथपुरा की घटना इसी भूकंप का पहला झटका थी, जिसने यह भ्रम तोड़ दिया कि सब कुछ नियंत्रण में है। दरअसल नियंत्रण सिर्फ विज्ञापनों में था, जमीन पर नहीं। इस घटना के बाद नगर निगम की आंतरिक हालत ऐसी हो गई, मानो कोई सामूहिक मौन अनशन चल रहा हो... अधिकारी आपस में बोल नहीं रहे, विभाग एक-दूसरे से कटे हुए हैं और जिम्मेदारी को ऐसे इधर-उधर धकेला जा रहा है जैसे कोई बोझिल फाइल हो, जिसे हाथ लगाना भी जोखिम भरा हो। स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि जिस विभाग को हमेशा कमाऊ कहा जाता रहा, वहां कमाई का मतलब अब राजस्व नहीं, बल्कि रस्साकशी समझा जाने लगा है। कार्यालय के भीतर दो अधिकारियों का आमने-सामने उलझ जाना, निगम के स्वास्थ्य की लाइव रिपोर्ट थी... जिसमें नाड़ी भी अनियमित थी और धड़कन भी।

शहर की सड़कों पर यह अव्यवस्था किसी गोपनीय दस्तावेज की तरह छिपी नहीं है। अवैध कब्जे अब अवैध नहीं लगते, वे तो स्थायी नागरिक बन चुके हैं। फुटपाथों और सड़कों के दोनों ओर ठेलों की ऐसी बाढ़ है कि सड़कें खुद को गली समझने लगी हैं। रिमूवल विभाग में ऊपर बैठे अधिकारी एक अवैध गुमटी पर हाथ डालने से पहले उतना नहीं सोचते जितना एक संभावित फोन कॉल की घंटी के बारे में सोच रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के आड़े रहे अवैध कब्जे व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं... इसी बीच वर्षों से धूल खा रही काली फाइलें अचानक चमकने लगी हैं... क्योंकि उन्हें शहर सुधार के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भविष्य सुधार योजना के तहत बाहर निकाला गया है। क्योंकि आपदा में वो अवसर मिल गया है, जिसका इंतजार भी लंबे समय से था। इसके ठीक विपरित वाली वित्तीय हालत की बात करें तो नगर निगम की स्थिति उस मरीज जैसी है, जिसे आईसीयू की जरूरत है, लेकिन इलाज सिर्फ मेकअप से किया जा रहा है। राजस्व बढ़ाने की जिम्मेदारी जिस तंत्र पर है, वहां लूप लाइन में पड़े भ्रष्ट अधिकारियों की वापसी के साथ खुद के लिए वसूली आधारित जाल बिछा दिया गया है। नतीजा यह होगा कि टैक्स का पूरा बोझ फिर उसी ईमानदार नागरिक के कंधे पर रहेगा, जो पहले ही महंगाई और अव्यवस्था से जूझ रहा है, जबकि प्रभावशाली वर्गों के लिए नगर निगम खुद लाल कालीन बिछाकर खड़ा है... मानो नियम उनके स्वागत में हों। यह पूरी कहानी किसी एक घटना या एक विभाग की नहीं है। यह उस नगर निगम की कहानी है, जो चमक को शासन समझ बैठा, और व्यवस्था को फोटो फ्रेम में कैद कर दिया। भागीरथपुरा ने बस इतना किया कि फ्रेम तोड़ दिया और भीतर की तस्वीर सबके सामने रख दी।

संपादकीय...

प्राधिकरण के कार्यों की निरंतर समीक्षा जरूरी

इंदौर विकास प्राधिकरण एक ऐसा निकाय है क्योंकि इंदौर शहर के विकास में सबसे ज्यादा और अहम भूमिका का निर्माण करता है। ऐसी निकाय के जीवन में जनता के अपने घर के सपने को साकार करने का दायित्व भी है। इस समय इस निकाय में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों के द्वारा लिए जा रहे फैसलों के कारण प्राधिकरण से संपत्ति का आवंटन प्राप्त करने वाले नागरिक परेशान हो रहे हैं। नागरिकों की परेशानी को सुनने समझने और उसका समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे कार्य एवं निरंतर निगरानी

■ गौरव गुप्ता

रखते हुए उसकी समीक्षा की जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक प्राधिकरण में जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहेगा। इस समय प्राधिकरण शहर के विकास की दृष्टि से यदि देखा जाएं तो लव कुश चौराहे पर मध्य प्रदेश का पहला डबल डेकर ब्रिज बनाने का काम कर रहा है। उसके साथ ही प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई टाउन प्लानिंग स्कीम में अधो संरचना के विकास का कार्य तेज गति के साथ चल रहा है। इस प्राधिकरण को यदि जनता का हितेषी बनाकर काम शुरू कर दिया जाएगा तो यह प्राधीकरण इंदौर को विकसित इंदौर के रूप में तब्दील करने में अहम भूमिका का निर्माण करेगा।

दांतों के लिए साइलेंट किलर है सड़न, जानें कब बढ़ सकती है दांतों से जुड़ी समस्याएं

दांतों की सड़न धीरे-धीरे उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है और मय रहते इलाज न करने पर गंभीर समस्याएं बढ़ सकती हैं।

दांतों में दर्द या सूजन पर तो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन सड़न धीरे-धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाती है और अक्सर तब तक पता नहीं चलता जब तक संक्रमण गंभीर रूप न ले ले। बाहर से चमकदार दिखने वाले दांतों में अंदरूनी छेद बनना आम है, और यह प्रक्रिया ददऱ् महसूस होने तक लगातार बढ़ती रहती है।

सड़न के कारण

दांतों में सड़न के मुख्य कारण हैं:

1.ज्यादा मीठा और प्रोसेस्ड खाना
2.सही तरीके से ब्रश या कुल्ला न करना
3.मुंह में लार की कमी
4.कैल्शियम और विटामिन डी की कमी
5.रात में बिना ब्रश किए सोना

ये सभी कारक बैक्टीरिया के विकास और दांतों में सड़न को बढ़ावा देते हैं।

डॉ. आरती मेहरा ने बताये आयुवेज्दिक और घरेलू उपाय

दांतों के दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए लौंग का तेल, नमक के पानी से कुल्ला, या प्रभावित हिस्से पर ठंडी सिकाई (बर्फ) सबसे प्रभावी उपाय हैं। अदरक, लहसुन या प्याज का टुकड़ा चबाना भी ददऱ् और सूजन में मदद करता है।

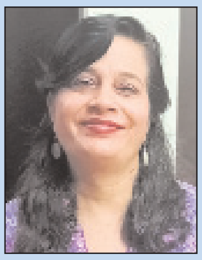
डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

दांत दर्द के घरेलू उपाय और उपाय-

लौंग का तेल (Cloves)- दर्द वाले दांत पर रुई की मदद से लौंग का तेल लगाएं, यह दर्द और मसूड़ों की सूजन कम करता है।

नमक के पानी से कुल्ला- गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर कुल्ला करें। यह मुंह के बैक्टीरिया को मारता है।

ठंडी सिकाई - गाल के बाहर से बर्फ का पैक (कपड़े में लपेटकर) 15-20 मिनट तक रखें, यह सूजन और दर्द कम करने में मदद करता है।

लहसुन - लहसुन की कली को पीसकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर दांतों पर लगाएं, यह एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है।

प्याज (Onion)- कच्चा प्याज चबाने से भी दांत के दर्द में राहत मिलती है।

हींग- हींग को नींबू के रस में मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है।

लौंग का तेल
दांतों में दर्द कम करने और बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करता है।
रात में कुछ समय के लिए दांतों पर लगाकर छोड़ें और फिर पानी से साफ करें।

नीम से दातुन या कुल्ला
नीम प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुणों से दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है।
रोजाना दातुन या नीम की चाय से कुल्ला करने से संक्रमण कम होता है।

नारियल तेल से ऑयल पुलिंग
तेल दांतों के कोनों में जाकर गंदगी और पीलेपन को साफ करता है।
इसे 5 मिनट तक मुंह में घुमाएं और फिर कुल्ला करें।

नमक और सरसों के तेल का मिश्रण
दांतों के दर्द में राहत देता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है।
हफ्ते में तीन बार इस्तेमाल करने से दांतों की पीलापन कम होता है।

डॉक्टर को कब दिखाएं
यदि दर्द 1-2 दिन से ज्यादा रहता है, तेज बुखार है, या मुंह में सूजन आ गई है, तो तुरंत दंत चिकित्सक को दिखाएं।

सावधानी (Tips) -

मीठे और चिपचिपे भोजन से बचे ।
फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से दिन में दो बार ब्रश करें।
दर्द होने पर बहुत ठंडा या बहुत गर्म भोजन खाने से बचें।
पोषण और आहार संबंधी सुझाव
कैल्शियम और विटामिन डी- दांतों को मजबूत बनाने और मसूड़ों से खून आने की समस्या कम करने में मदद करते हैं।
विटामिन सी - मसूड़ों और दांतों की सेहत के लिए जरूरी, रोजाना खट्टे फल का सेवन लाभकारी है।
संतुलित आहार और पर्याप्त हाइड्रेशन से दांतों की लंबी उम्र सुनिश्चित की जा सकती है।

निष्कर्ष -

दांतों की सड़न धीरे-धीरे बढ़ती है और समय रहते रोकना जरूरी है। घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक नुस्खे और सही पोषण से दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है। नियमित ब्रशिंग, कुल्ला, और सही जीवनशैली अपनाना दांतों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

राम ने रावण की आंख फोड़ दी ...

रामलीला में राम ने रावण को मारने के लिए तीर चलाया लेकिन तीर रावण का किरदार निभा रहे कलाकार की आंख में जा लगी। जिसकी वजह से उस शख्स की आंख में गंभीर चोट आई। उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। मामला दो महीने पुराना है, लेकिन इस पर अब जाकर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव का है। यहां 13 नवंबर 2025 को रामलीला चल रही थी। राम का किरदार निभा रहे नैतिक पांडेय नाम के कलाकार को तीर से रावण बने सुनील कुमार का मुकुट गिराना था। लेकिन निशाना नहीं लगा और तीर जाकर कथित तौर पर सुनील की आंख में लग गया।

पैसे मांगने पर धमकाने का आरोप

इसके बाद रावण बने सुनील को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। पीड़ित सुनील का आरोप है कि उन्होंने अपने इलाज के लिए रामलीला के आयोजकों और राम का किरदार निभा रहे कलाकार से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब वह मदद मांगने गए थे तो उन्हें गाली देकर और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया था।

इसके बाद पीड़ित सुनील ने मामले की शिकायत पुलिस में करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि इलाज के चलते वह तुरंत थाने नहीं जा सके, इसलिए दिसंबर के पहले हफ्ते में जाकर उन्होंने थाने में शिकायत दी। हालांकि उनका कहना है कि प्रशासनिक देरी के कारण उनका मुकदमा अब जाकर दर्ज हुआ है। उन्हें 28 जनवरी को पता लगा कि उनकी शिकायत पर स्न्नढ्ढक्रदर्ज कर ली गई है।

केवल पार्टनर होना अभियोजन के लिए पर्याप्त नहीं

परिवाद में विशिष्ट भूमिका का उल्लेख अनिवार्यः हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत एक पार्टनरशिप फर्म और उसके साझेदारों को बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने पुणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता आरोपी के साथ किसी भी कानूनी ऋण या दायित्व (legal debt or liability) के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहा। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि परिवाद में साझेदारों की विशिष्ट भूमिका के बारे में स्पष्ट आरोप नहीं लगाए गए थे।

प्रकरण इस प्रकार था की यह अपील विजयकांत मोतीलाल कोठारी (अपीलकर्ता) द्वारा महाराष्ट्र राज्य और ओम इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स तथा उसके भागीदारों (प्रतिवादी संख्या 2 से 7) के खिलाफ प्रस्तुत की गई थी।

परिवाद के अनुसार, जुलाई 2004 में हीराचंद रायचंद पगारिया नामक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से 56,50,000 रुपये का हैंड लोन लिया था। आरोप था कि पगारिया के करीबी दोस्त होने के नाते आरोपियों ने ऋण चुकाने की जिम्मेदारी ली थी। इसके तहत, प्रतिवादी संख्या 3 (मूल आरोपी संख्या 2) ने कथित तौर पर 31 जनवरी 2006 को बैंक ऑफ बड़ौदा का 78,00,000 रुपये का चेक शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी किया।

चेक बाउंस होने और कानूनी नोटिस का जवाब न मिलने पर उक्त परिवार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), पुणे ने 1 मार्च 2008 को आरोपियों को दोषी ठहराया था। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे ने 31 जनवरी 2011 को अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दो मुख्य कानूनी मुद्दों पर विचार किया।

क्या यह साबित किए बिना कि चेक किसी तीसरे पक्ष (Third Party) के दायित्व को पूरा करने के लिए जारी किया गया था, धारा 138 का अपराध बनता है?

क्या शिकायत में विशिष्ट भूमिका बताए बिना किसी पार्टनर पर मुकदमा चलाया जा सकता है?

साझेदारों की जिम्मेदारी पर कोर्ट ने कहा कि शिकायत में केवल यह एक सामान्य कथन था कि आरोपी फर्म के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। सुप्रीम कोर्ट के कमलकिशोर श्रीगोपाल तापड़िया बनाम इंडिया एनर्जी-जेन प्राइवेट लिमिटेड (2025) और एन.के. वाही बनाम शेखर सिंह (2007) के निर्णय का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि केवल 'पार्टनर' या 'डायरेक्टर' का पद होना पर्याप्त नहीं है।

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

कोर्ट ने एन.के. वाही मामले का उल्लेख करते हुए कहा- कथित निदेशकों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए, शिकायत में लेन-देन में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विशिष्ट आरोप होना चाहिए। किसी भी दावे या विशिष्ट सबूत के अभाव में शिकायत विचारणीय नहीं होगी।

हाईकोर्ट ने पाया कि मुख्य परीक्षक (chief-examination) में दिए गए सामान्य बयान के अलावा, ऐसा कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं था जो यह साबित कर सके कि आरोपियों ने पगारिया की देनदारी अपने ऊपर ली थी।

कोर्ट ने विसंगति को रेखांकित करते हुए कहा- शिकायतकर्ता यह समझाने में असमर्थ है कि श्री पगारिया द्वारा लिया गया 56,50,000 रुपये का हैंड लोन बढ़कर 78,00,000 रुपये कैसे हो गया, जो कि अनादरित चेक की राशि है। राशि में वृद्धि को सही ठहराने के लिए ब्याज दर के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है- कोर्ट ने सत्र न्यायालय के इस निष्कर्ष को सही माना कि चेक जारी करने से पहले शिकायतकर्ता और आरोपियों के बीच कोई वित्तीय संबंध नहीं थे और उनके बीच कोई 'प्रिवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट' (privity of contract) नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (राजेश प्रसाद बनाम बिहार राज्य और एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य) का हवाला देते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि अपीलीय अदालत को बरी करने के फैसले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि फैसला पूरी तरह से विकृत (patent perversity) न हो या सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा न गया हो। कोर्ट ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद आरोपी के पक्ष में निर्दोष होने की दोहरी धारणा (double presumption of innocence) होती है।

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों का शिकायतकर्ता के प्रति कोई कानूनी ऋण या दायित्व नहीं था। इसके अलावा, ऐसा कोई सबूत नहीं था जो यह दर्शाता हो कि पगारिया की देनदारी लेने से जुड़े व्यवसाय के संचालन के लिए कौन सा भागीदार जिम्मेदार था। हाई कोर्ट ने माना कि सत्र न्यायालय के फैसले में कोई कमी नहीं है और अपील को खारिज कर दिया। केस - विजयकांत मोतीलाल कोठारी बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य।

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत, तब एक भागीदार (partner) दायित्व रखता है जब चेक फर्म की ओर से किसी वैध देनदारी के लिए जारी किया गया हो और वह चेक बाउंस हो जाए। केवल पार्टनर होने से दायित्व नहीं बनता; पार्टनर का चेक जारी करने के समय व्यवसाय के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होना आवश्यक है।

पार्टनर की जवाबदेही (Liability) के मुख्य बिंदु :

सक्रिय भूमिका- पार्टनर को फर्म के दैनिक कार्यों या चेक जारी करने की प्रक्रिया में जिम्मेदार होना चाहिए।

चेक बाउंस का कारण- चेक अपर्याप्त धनराशि (insufficient funds) या अन्य कारणों से बाउंस हुआ हो।

कानूनी नोटिस- चेक बाउंस होने के बाद 30 दिनों के भीतर वैधानिक नोटिस भेजा गया हो।

संयुक्त और पृथक दायित्व- फर्म और उसके सक्रिय पार्टनर, दोनों चेक की राशि के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, केवल पदनाम (designation) के आधार पर पार्टनर को अपराधी नहीं माना जा सकता, जब तक कि शिकायत में उसकी विशिष्ट भूमिका का उल्लेख न हो।

चाबहार बंदरगाह से भारत ने हाथ खींचें

बजट में नहीं किया है बंदरगाह के लिए कोई प्रावधान

भारत ने इस साल अपने केंद्रीय बजट में ईरान में चाबहार बंदरगाह के लिए कोई रक़म जारी नहीं की है। पिछले साल के बजट में भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए चार सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। भारत ने साल 2017-18 से चाबहार बंदरगाह में निवेश शुरू किया था और ये पहली बार है जब भारत ने ईरान के साथ इस साझा परियोजना के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत के चाबहार बंदरगाह से हाथ पीछे खींचने की बड़ी वजह अमेरिका की तरफ़ से बढ़ता दवाब और बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रम हैं। पिछले दो साल में वैश्विक स्तर पर ईरान कमज़ोर हुआ है, विश्लेषक इसे भी भारत के चाबहार बंदरगाह में निवेश जारी नहीं रखने का बड़ा कारण मान रहे हैं।

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध, क्षेत्रीय अस्थिरता और बदलती भू-राजनीति के कारण चाबहार की रफ्तार पहले भी धीमी रही है, लेकिन अब भारत के चाबहार के लिए फंड आवंटित ना करने से इसके ठप पड़ जाने की आशंका भी पैदा हो गई है।

चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अहम क्यों?

पाकिस्तान और चीन ईरान की सीमा के पास ग्वादर पोर्ट विकसित कर रहे हैं, भारत चाबहार पोर्ट को इसके जवाब के रूप में भी देखता है। पाकिस्तान और चीन ईरान की सीमा के पास ग्वादर पोर्ट विकसित कर रहे हैं, भारत चाबहार पोर्ट को इसके जवाब के रूप में भी देखता है।

चाबहार में दो पोर्ट हैं- शाहिद कलंतरी और शाहिद बहिश्ती। यह होर्मुज जलसंधि से बाहर होने के कारण बड़े जहाजों के लिए सुरक्षित है और

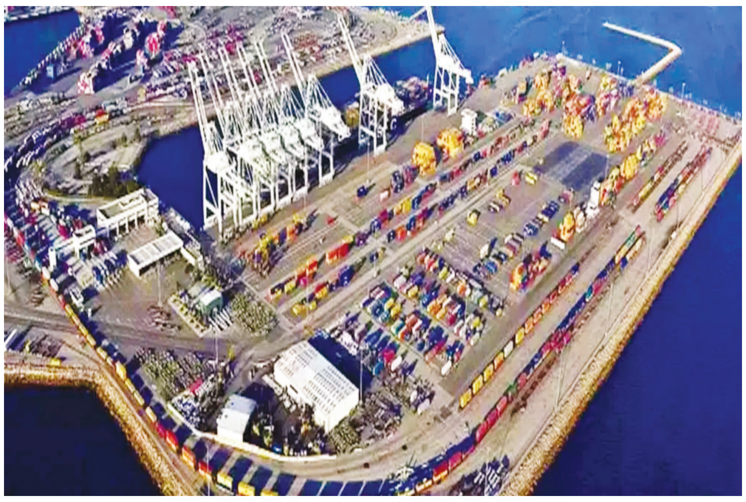

पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से महज 170 किलोमीटर दूर स्थित है।

यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण-पूर्वी सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित वह समुद्री क्षेत्र है जिसे भारत लंबे समय से एक रणनीतिक वैकल्पिक मार्ग के रूप में देखता रहा है।चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी आईएनएसटीसी के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। इस रूट से भारत की यूरोप तक पहुंच आसान हो जाती, साथ ही ईरान और रूस को भी फायदा होता। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान दौरा किया था। 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ईरान यात्रा थी।

इस दौरे में मोदी ने भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय संबंध के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित और संचालित करने के लिए 55 करोड़ डॉलर निवेश का एलान किया था। इसके बाद से चाबहार में भारत की हिस्सेदारी और दिलचस्पी में भू-राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से उतार-चढ़ाव आता रहा है। भारत के लिए ये बंदरगाह और भी अहम इसलिए है क्योंकि यह भारत को पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया के बाज़ारों तक पहुंच देता है।

प्यार के आगे झुका समाज
अंतर-जातीय विवाह में महाराष्ट्र सबसे आगे, हरियाणा भी पीछे नहीं

नई दिल्ली। भारत सरकार ने साल 2024-25 के दौरान देशभर में 26,000 से ज्यादा लोगों को अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि दी है। यह मदद नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को लागू करने वाली केंद्र सरकार की योजना के तहत दी गई है, ताकि जातिवाद को खत्म कर समाज में भाईचारा बढ़ाया जा सके।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ सालों में अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन पाने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, साल 2024-25 में कुल 26,050 लोगों को अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया गया। यह संख्या 2023-24 में 21,083 और 2022-23 में 14,225 थी, जो दर्शाती है कि इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

साल 2024-25 के मुख्य आंकड़े :

सबसे ज्यादा लाभार्थी महाराष्ट्र (8,566) में रहे।

इसके बाद कर्नाटक (2,798) और तमिलनाडु (2,476) का नंबर आता है।

अन्य राज्यों में हरियाणा (2,350), गुजरात (1,775), पश्चिम बंगाल (1,510), छत्तीसगढ़ (1,061) और तेलंगाना (398) शामिल हैं।

साल 2023-24 के आंकड़े :

इस दौरान कर्नाटक (4,054) शीर्ष पर था, जिसके बाद ओडिशा (3,614), तमिलनाडु (2,392), गुजरात (1,599) और पंजाब (1,412) का स्थान रहा।

मध्य प्रदेश में 1,198, पश्चिम बंगाल में 1,153, असम में 1,022, हिमाचल में 816, केरल में 736, राजस्थान और सिक्किम में 282-282 लोगों को लाभ मिला।

साल 2022-23 के आंकड़े :

इस साल भी कर्नाटक (3,651) में सबसे ज्यादा लाभार्थियों को प्रोत्साहन मिला।

इसके बाद ओडिशा (1,791), केरल (1,533), हरियाणा (1,441) और तमिलनाडु (1,282) का स्थान रहा।

गुजरात (1,170), हिमाचल (629), राजस्थान (610), छत्तीसगढ़ (551), पश्चिम बंगाल (334), पुडुचेरी (122), तेलंगाना (119) और चंडीगढ़ (65) में भी लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया।

छुआछूत के कारण किसी पर भी पाबंदी लगाना एक अपराध है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को पूरी तरह खत्म कर दिया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास करना प्रतिबंधित है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत छुआछूत के कारण किसी पर भी पाबंदी लगाना एक अपराध है। इसी तरह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अत्याचार रोकने, विशेष अदालतें बनाने और पीड़ितों को राहत व पुनर्वास दिलाने के लिए बनाया गया था। इन कानूनों को संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है।

इस काम में केंद्र सरकार एक विशेष योजना के जरिए आर्थिक मदद देती है। इसका उद्देश्य पुलिस सेल और विशेष थानों को मजबूत करना, विशेष अदालतें चलाना, पीड़ितों को सहायता देना, अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन देना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। इसका खर्च केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आधा-आधा बांटा जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी 100 प्रतिशत मदद केंद्र सरकार से मिलती है।

जातिवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

केंद्र सरकार उन अंतर-जातीय विवाहों के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देती है, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से हो। इसके अलावा, जिन जोड़ों की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है, वे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा साल 2014-15 में शुरू की गई डॉ. अंबेडकर अंतर-जातीय विवाह सामाजिक एकता योजना के तहत 2.50 लाख रुपये के प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं। डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की इस योजना का लक्ष्य सामाजिक सद्भाव बढ़ाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मई, 2018 को एक एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों को ऑनर किलिंग (इज्जत के नाम पर हत्या) जैसे अपराधों को रोकने, उनके समाधान और दोषियों को सजा देने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

इस सप्ताह आपके सितारे
4 फरवरी 2026 से 10 फरवरी 2026

किसी का बढ़ेगा कारोबार तो किसी को शत्रु करेंगे परेशान

मेष- इस सप्ताह भूमि-भवन अथवा वाहन संबंधी कोई कार्य होगा। स्वयं का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति का विपरीत व्यवहार पीड़ित कर सकता है। संतान से भी कुछ कष्ट संभव है। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा प्रेम संबंधों में धनात्मकता रहेगी।

वृषभ- कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ है। आवक अच्छी होगी। व्यय भी अधिक होंगे। स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सुख उत्तम है। कोई यात्रा संभव है। घर में किसी शुभ कार्य होने की रूपरेखा बनेगी।

मिथुन- इस सप्ताह प्रेम संबंधों के प्रति सावधान रहें। जीवन साथी से कष्ट संभव है। कारोबार भी ठीक-ठीक रहेगा। आवक मध्यम, व्यय अधिक। संतान पक्ष ठीक रहेगा। इस सप्ताह बेवजह के विवादों से बचें। पिता को आंशिक कष्ट हो सकता है। रुका हुआ कुछ पैसा मिलेगा।

कर्क- इस सप्ताह किसी से बेवजह का विवाद हो सकता है। सावधान रहें। कारोबार अच्छा चलेगा। मान सम्मान में वृद्धि संभव है। किसी कार्य के होने से संतोष मिलेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं व्यवहार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध सुधरेंगे।

सिंह- इस सप्ताह कारोबार में कुछ न्यूनता दिखाई देगी। किसी व्यक्ति से कुछ कष्ट भी हो सकता है। किसी पूर्व से चले आ रहे हैं लंबित कार्य के होने के अवसर बनेंगें। संतान को कष्ट संभव है। जीवनसाथी का सुख और सहयोग उत्तम रहेगा। प्रेम-संबंध धनात्मक रहेंगे।

कन्या- इस सप्ताह किसी कार्य के हो जाने से शांति मिलेगी। स्वयं का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान संबंधी कोई कार्य भी होगा। आय अच्छी रहेगी किंतु व्यय भी अधिक होंगे। जीवनसाथी का समर्थन रहेगा। भाइयों से कष्ट संभव है।

मेष- इस सप्ताह भूमि-भवन अथवा वाहन संबंधी कोई कार्य होगा। स्वयं का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति का विपरीत व्यवहार पीड़ित कर सकता है। संतान से भी कुछ कष्ट संभव है। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा प्रेम संबंधों में धनात्मकता रहेगी।

वृषभ- कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ है। आवक अच्छी होगी। व्यय भी अधिक होंगे। स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सुख उत्तम है। कोई यात्रा संभव है। घर में किसी शुभ कार्य होने की रूपरेखा बनेगी। जीवनसाथी के व्यवहार से संतोष रहेगा।

मिथुन- इस सप्ताह प्रेम संबंधों के प्रति सावधान रहें। जीवन साथी से कष्ट संभव है। कारोबार भी ठीक-ठीक रहेगा। आवक मध्यम, व्यय अधिक। संतान पक्ष ठीक रहेगा। इस सप्ताह बेवजह के विवादों से बचें। पिता को आंशिक कष्ट हो सकता है। रुका हुआ कुछ पैसा मिलेगा।

कर्क- इस सप्ताह किसी से बेवजह का विवाद हो सकता है। सावधान रहें। कारोबार अच्छा चलेगा। मान सम्मान में वृद्धि संभव है। किसी कार्य के होने से संतोष मिलेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं व्यवहार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध सुधरेंगे।

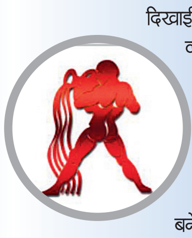

सिंह- इस सप्ताह कारोबार में कुछ न्यूनता दिखाई देगी। किसी व्यक्ति से कुछ कष्ट भी हो सकता है। किसी पूर्व से चले आ रहे हैं लंबित कार्य के होने के अवसर बनेंगें। संतान को कष्ट संभव है। जीवनसाथी का सुख और सहयोग उत्तम रहेगा। प्रेम-संबंध धनात्मक रहेंगे।

कन्या- इस सप्ताह किसी कार्य के हो जाने से शांति मिलेगी। स्वयं का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान संबंधी कोई कार्य भी होगा। आय अच्छी रहेगी किंतु व्यय भी अधिक होंगे। जीवनसाथी का समर्थन रहेगा। भाइयों से कष्ट संभव है।

श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

■ सूर्य - वृश्चिक ■ चंद्र - मेष से कर्क ■ मंगल- वृश्चिक 8 से धनु में ■ बुध- तुला 7 से वृश्चिक में ■ गुरु- कर्क 6 से मिथुन में ■ शुक्र- वृश्चिक ■ शनि- मीन ■ राहु- कुंभ ■ केतु - सिंह

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

शादी से पहले पंडित नहीं वकील के पास पहुंच रहे हैं दूल्हे

शादी से पहले पंडित नहीं, वकील की चौखट पर दूल्हे, क्या बड़ी चिंताएं?

इंदौर में शादी से पहले कुंडली की जगह वकील से कानूनी सलाह लेने का चलन बढ़ा, खासकर युवाओं में। वैवाहिक रिश्तों के टूटने और कानूनी मामलों के डर से दुल्हे और परिवार शादी को संभावित कानूनी जोखिम के रूप में देख रहे हैं। दहेज, घरेलू हिंसा जैसे मामलों से बचाव के लिए शादी की तैयारियों में कानूनी सलाह शामिल हैं। युवा पीढ़ी पति-पत्नी के अधिकार, कानूनी धाराएं और बचाव के तरीकों के बारे में शादी से पहले ही जानकारी जुटा रही है। कभी शादी से पहले कुंडली मिलान, शुभ मुहूर्त और विवाह खर्चों पर चर्चा होती थी, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। आधुनिक शहरों में शादी से पहले पंडित की जगह वकील से कानूनी सलाह लेना नया ट्रेंड बनता जा रहा है। इसकी वजह है,शादी के बाद टूटते रिश्ते और उनके साथ खड़े होने वाले कानूनी मामलों का डर।

आज के युवा, खासकर होने वाले दूल्हे और उनके परिवार, शादी को सिर्फ भावनात्मक रिश्ता नहीं, बल्कि एक संभावित कानूनी जोखिम के रूप में देखने लगे हैं। आशंका यह है कि अगर भविष्य में वैवाहिक संबंध बिगड़े, तो दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण जैसे गंभीर मामलों में फंसना पड़ सकता है। इसी डर के चलते अब शादी की तैयारियों में लीगल कंसलटेशन भी शामिल हो गया है।

क्यों बदल रही है शादी की सोच?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार पहले लोग तब वकील के पास पहुंचते थे, जब रिश्ता टूटने की कगार पर होता था। अब तस्वीर उलट है। युवा पीढ़ी कानून को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गई है। वे पहले ही जान लेना चाहते हैं कि पति-पत्नी के अधिकार क्या हैं, किन हालात में कौन-सी धाराएं लग सकती हैं और उनसे बचाव कैसे संभव है।

परिवार इसे एक तरह का लीगल सेफ्टी प्लान मानकर चल रहे हैं, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति आए तो खुद को कानूनी रूप से सुरक्षित रखा जा सके।

498A और घरेलू हिंसा कानून बना सबसे बड़ा डर

इस पूरे ट्रेंड के केंद्र में दहेज प्रताड़ना से जुड़ा कानून, खासतौर पर धारा 498A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) है। भले ही यह कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया हो, लेकिन इसके दुरुपयोग की चर्चाओं ने कई परिवारों में डर पैदा कर दिया है।

लड़के और उनके परिजनों की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि कहीं भविष्य में पत्नी उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज न करा दे। सवाल यह भी उठता है कि शादी में दिए गए उपहार, नकद या खर्च कहीं बाद में दहेज के रूप में तो नहीं गिने जाएंगे। चिंता सिर्फ पति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि माता-पिता, भाई-बहन और दूर के रिश्तेदारों तक पर मुकदमे का खतरा मंडराने लगता है।

आपसी सहमति का खर्च भी बन सकता है विवाद

आज की शादियां भव्यता की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग, फाइव-स्टार होटल, महंगी सजावट और हाई-एंड कैटरिंग पर दोनों परिवार मिलकर लाखों रुपये खर्च करते हैं। लेकिन यही साझा खर्च विवाद की स्थिति में कानूनी पेंच बन जाता है।

कई मामलों में लड़की पक्ष द्वारा की गई बैंक ट्रांसफर को बाद में दहेज बताकर केस में शामिल कर लिया गया। कहीं होटल और कैटरिंग के संयुक्त भुगतान को दबाव में दिया गया पैसा बताकर मुकदमा दर्ज कराया गया। भले ही बाद में बैंक स्टेटमेंट और चैट से सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन तब तक परिवारों को लंबी कानूनी लड़ाई और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है।

वकील दे रहे हैं ये सख्त सलाह

कानूनी विशेषज्ञ अब साफ तौर पर सलाह दे रहे हैं कि हर लेन-देन डिजिटल माध्यम से हो और नकद से पूरी तरह बचा जाए। बैंक ट्रांसफर करते समय यह स्पष्ट लिखा जाए कि यह शादी का संयुक्त खर्च है। वॉट्सएप या अन्य चैट में भी सहमति और खर्च का उद्देश्य साफ दर्ज होना चाहिए। यही डिजिटल सबूत भविष्य में कानूनी सुरक्षा बन सकता है।

लड़कियां क्यों पीछे हैं?

दिलचस्प तथ्य यह है कि शादी से पहले कानूनी सलाह लेने वालों में लड़के पक्ष की संख्या कहीं अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि समाज में यह धारणा बनी हुई है कि वैवाहिक कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, इसलिए वे पहले से कानूनी तैयारी को जरूरी नहीं समझतीं।

रूस में किसी विद्यार्थी को नहीं देते हैं शून्य अंक खाली कॉपी पर भी दे दिए जाते हैं दो अंक...

रूस की शिक्षा प्रणाली में किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 5 होते हैं। परन्तु एक चौंकाने वाली बात यह है कि–अगर कोई छात्र पूरी तरह खाली उत्तर पुस्तिका भी जमा कर दे, तब भी उसे 2 अंक दिए जाते हैं।

मॉस्को विश्वविद्यालय में जब मुझे यह बात पहले दिन पता चली, तो मैं सचमुच हैरान रह गया। मुझे यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगा। मेरे मन में सवाल उठा – अगर किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, तो उसे शून्य अंक क्यों नहीं मिलते?

जिज्ञासा के कारण मैंने डॉ. थियोडोर मेद्रायेव से पूछा, सर, यह कैसे सही है कि जिसने कुछ भी नहीं लिखा, उसे भी 2 अंक दिए जाएं?

डॉ. मेद्रायेव मुस्कराए। फिर शांत और विचारशील स्वर में बोले- शून्य का अर्थ है–अस्तित्वहीन। जब तक कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, वह शून्य कैसे हो सकता है ? ज़रा सोचिए–कक्षा तक पहुंचने के लिए एक छात्र कितना प्रयास करता है। हो सकता है वह ठिठुरती ठंड में सुबह-सुबह उठा हो, दूर से बस, ट्राम या ट्रेन में खड़े-खड़े आया हो। भले ही उसने खाली कागज जमा किया हो, लेकिन उसका आना ही यह बताता है कि उसने कोशिश की। फिर मैं उसे शून्य कैसे दे सकता हूं ?

उन्होंने आगे कहा- हो सकता है छात्र उत्तर न लिख पाया हो। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसका पूरा प्रयास मिटा दिया जाए? जिन रातों में वह जागा, जिन कॉपियों को उसने खरीदा, जिन किताबों को खोला, जिन संघर्षों से वह गुज़रा–क्या हम सब कुछ नजरअंदाज कर दें? नहीं, मेरे प्रिय! इंसान कभी शून्य नहीं होता। जब हम शून्य देते हैं, तो हम उसका आत्मविश्वास छीन लेते हैं, उसके भीतर की आग बुझा देते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमारा उद्देश्य छात्रों को बार-बार खड़ा होने में मदद करना है–उन्हें हार मानने पर मजबूर करना नहीं।

मैं चुपचाप सुनता रहा। उस क्षण मेरे भीतर कुछ हिल गया। तब मुझे समझ आया–शिक्षा केवल अंकों या लिखे गए उत्तरों का नाम नहीं है। शिक्षा लोगों को जीवित रखने की प्रक्रिया है, प्रयास को पहचानने की कला है, आशा की रक्षा करने का माध्यम है।

उस दिन डॉ. मेद्रायेव ने मुझे एक गहरी सच्चाई सिखाई : शिक्षा केवल ज्ञान का वितरण नहीं है, बल्कि मानवता का अभ्यास है। कागज पर लगा शून्य अक्सर छात्रों के लिए मृत्यु-घंटी बन जाता है। वह शून्य उन्हें भय से भर देता है, रुचि छीन लेता है और धीरे-धीरे सीखने से घृणा पैदा कर देता है। लेकिन एक शिक्षक का दायित्व है प्रोत्साहित करना, आश्वस्त करना और कहना- तुम कर सकते हो। फिर से कोशिश करो।

जब हम खाली उत्तर पुस्तिका पर भी न्यूनतम अंक देते हैं, तो हम वास्तव में यह कहते हैं- तुम शून्य नहीं हो। तुम अब भी महत्वपूर्ण हो। तुम सक्षम हो। तुम असफल नहीं हुए - बस इस बार सफल नहीं हो पाए। फिर से प्रयास करो।

यही सच्ची शिक्षा है। एक छात्र का भविष्य शिक्षक के हाथों में आकार लेता है। अगर शिक्षक थोड़ा और मानवीय बन जाएं, अगर वे अंकों से परे प्रयास को देखना सीख लें, तो कितने ही हतोत्साहित छात्र फिर से सपने देखने का साहस कर सकते हैं।

मुझे लगता है यह कहानी केवल रूस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे दुनिया भर के शिक्षकों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि शून्य अंक कभी शिक्षा नहीं होते। शून्य अंक अक्सर किसी की यात्रा का अंत होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, वह कम से कम आश्वासन और पहचान का अधिकारी है।

- रूस में अध्ययनरत एक अज्ञात भारतीय छात्र द्वारा लिखित

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इस साल शहर को मिलेगी 10 फ्लाईओवर ब्रिज की सुविधा

आम नागरिकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद, रेलवे गेट बन जाएंगे इतिहास

इस वर्ष यानी की 2026 में इंदौर शहर को 10 फ्लाईओवर ब्रिज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही आम नागरिकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इस स्थिति के साथ रेलवे गेट अब इतिहास बन जाएंगे।

इंदौर शहर की सबसे बड़ी समस्या यातायात की है। एक तरफ जहां शहर में सड़कों पर वाहन पार्क करने के लिए जगह नहीं है। तो दूसरी तरफ गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि सड़क पर उनके चलने के लिए भी जगह नहीं बचती है। इस स्थिति में यातायात जाम इंदौर की स्थाई समस्या बन गया है। इस समस्या से पैदा होने वाले परेशानी इस साल कम होने की उम्मीद है। अलग-अलग एजेंसियों के द्वारा अलग-अलग स्थान पर बनाए जा रहे 10 रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर ब्रिज इस साल बनकर तैयार हो जाएंगे। यह उम्मीद की जाती है कि उनके बन जाने से चौराहे और सड़क पर यातायात जाम की स्थिति में राहत मिल सकेगी।

इन ब्रिज में से कुछ का निर्माण पहले से ही शुरू हो चुका है और काम अंतिम चरण में चल रहा है। इन ब्रिज की आवश्यकता पिछले काफी समय से महसूस की जा रही थी। रेलवे क्रॉसिंग जो की बाढ़ गंगा मांग लिया शक्कर खेड़ी और पोलो ग्राउंड में है वहां पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। इस साल यह निर्माण पूरा हो जाएगा और यह सभी ब्रिज यातायात के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। ऐसे में रेलवे गेट अब स्मृति की धरोहर हो जाएंगे। यह गेट इतिहास बनकर रह जाएंगे।

इसके अलावा मुसाखेड़ी देवास नाका अर्जुन बड़ौदा सत्य साइन चौराहा रेवती मंडी और बेस्ट प्राइस के पास में जो फ्लाईओवर ब्रिज का काम चल रहा है वह भी अब अंतिम चरण की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी वर्ष में इस काम को भी पूरा कर इन ब्रिज पर भी यातायात को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह ब्रिज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए जा रहे हैं।

इस साल इन सभी ब्रिज की शहर की यातायात में एक बड़ा परिवर्तन आने की उम्मीद की जा रही है। इनमें से जो बीच रिंग रोड पर है वह रिंग रोड के यातायात को शुभम और बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। इस मार्ग को पहले से ही इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा सिग्नल फ्री मार्ग के रूप में तैयार किया जा चुका है।

सिंहस्थ के लिए इस बार चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन

इस बार रेल बजट में इंदौर का भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि ढाई साल बाद उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगाने वाला है। इसके लिए मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी प्रदेश को मिलेगी। उनमें से दो इंदौर के खाते में आ सकती है।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

रेल बजट में मध्य प्रदेश और खासकर मालवा क्षेत्र को इस साल सौगातें मिलेगी। सिंहस्थ को देखते हुए मेला स्पेशल ट्रेनें तो चलाई जाएगी। साथ में आसपास के पचास किलोमीटर क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश को पांच जोड़ी वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। इसमें दो ट्रेनें इंदौर को मिल सकती है।

प्रदेश में रेलवे के विस्तार पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। इंदौर-बुधनी, इंदौर-दाहोद और इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन के लिए भी राशि का आवंटन किया गया है। मध्य प्रदेश में 1.18 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं में काम कार्य चल रहा है। अमृत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को रुपये 3 हजार करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर 1283 फ्लाईओवर और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है।

सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों को कवर करते हुए पांच जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें एवं चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के लिए यह रेल बजट राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि होगी।

रेलवे ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नए समर्पित मालवाहक कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया है, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। दो हजार किमी लंबा यह कॉरिडोर मौजूदा पश्चिमी मालवाहक कॉरिडोर से जुड़ेगा। जिससे पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक माल की बिना किसी रुकावट के आवाजाही हो सकेगी। पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों को सीधे जोड़ता है। इस कारण इन दोनों राज्यों में होने वाले विकास कार्यों का फायदा रतलाम मंडल को भी मिलेगा।

कंपाउंडिंग कर देने के बाद भी लगा रहे हैं 10 साल का नियम

जनता को परेशान करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक और रास्ता खोला

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

निर्धारित अवधि में भवन का निर्माण न करने के कारण जिन प्लाट पर इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा कंपाउंडिंग कर दी गई है उन प्लाट पर भी अब ने सिरे से 10 साल वाला नियम लागू किया जा रहा है।

इंदौर विकास प्राधिकरण में अपने काम से जाने वाले नागरिकों को इन दोनों अलग-अलग तरीके से परेशान करने का सिलसिला शुरू हो गया है। यह सिलसिला ज्यादा तेज इसलिए हो गया है क्योंकि उच्च अधिकारियों के द्वारा आम नागरिकों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका फोकस आम नागरिक नहीं होकर उनके कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि जब नागरिक के द्वारा उच्च अधिकारियों के पास जाकर उनके अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा अनैतिक तरीके से परेशान किए जाने की शिकायत की जाती है तो उसे पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए इस तरह की समस्या पर उच्च अधिकारियों के द्वारा अपनी सहमति की मोहर लगाई जाती है।

प्राधिकरण से प्लाट प्राप्त करने वाले नागरिकों के लिए यह समय सीमा होती है कि उन्हें कितने समय के अंदर इस प्लाट पर भवन का निर्माण कर लेना है। जिन नागरिकों के द्वारा पूर्व में उन्हें आवंटित किए गए प्लाट पर भवन नहीं बनाया गया तो ऐसे सैकड़ो मामलों में प्राधिकरण के द्वारा कंपाउंडिंग करते हुए संबंधित व्यक्ति पर अर्थदंड लगा दिया गया। उसके बाद में उस व्यक्ति के द्वारा भूखंड पर भवन का निर्माण किया गया।

ऐसे सारे मामले जिनमें प्राधिकरण पूर्व में ही अर्थ दंड लगाकर कंपाउंडिंग कर चुका है उनमें अब एक बार फिर नए सिरे से कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इससे सारे मामले में संबंधित व्यक्ति से यह कहा जा रहा है कि उन्हें जिस समय आवंटन किया गया था उसे समय से 10 साल की अवधि में उन्हें उसे प्लाट पर मकान का निर्माण कर लेना था। इस अवधि में निर्माण नहीं करने के कारण अब उन लोगों पर नए सिरे से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सैकड़ो मामलों में प्राधिकरण के द्वारा संबंधित व्यक्ति के नाम पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

अब प्राधिकरण में जाकर जब संबंधित व्यक्ति के द्वारा अपना पक्ष रखा जाता है और कहा जाता है कि उसके द्वारा विलंब से किए गए निर्माण के मामले का पहले ही प्राधिकरण कंपाउंडिंग कर चुका है। इस तरह से कंपाउंडिंग के साथ ही यह मामला समाप्त हो चुका है। तो संबंधित व्यक्ति की बात को मानने से प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा इनकार कर दिया जाता है। उनका कहना होता है कि पहले जो कंपाउंडिंग हो गई वह अपनी जगह है अब तो हम इस तरह की कार्रवाई करने का अभियान चला रहे हैं। तो ऐसे में अब एक बार फिर कार्रवाई होना निश्चित है।

क्या करें नागरिक ?

ऐसी स्थिति में आम नागरिकों के सामने यह चुनौती पैदा हो जाती है कि वह ऐसी स्थिति में क्या करें। अवधिकारी कर्मचारी उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है ऐसे में एक गलती के लिए उसे दूसरी बार सजा देने की तैयारी की जा रही है। इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने वाला कोई सिस्टम इस समय प्राधिकरण में नहीं है।

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- गौरव गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया* । फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।